संख्या- 9 /2015/ 479/ सत्रह-म-2015, 6-9(139) / 2012

प्रेषक,

पुष्पा सिंह,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0 लखनऊ

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक 27 मार्च 2015

विषय – प्रतिस्थापन के आधार पर विभागीय कार्यो के सम्पादन हेतु एक वाहन के क्रय के सम्बंध में ।

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या - 224 / सा0शा0/ वाहन क्रय / 2013- 14/ छ-30 / वाहन –111 दिनांक 26-03-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या –1446 / सत्रह-2014 6-9 (155)/2012 दिनांक 01 सितम्बर -2014 द्वारा अनुदान संख्या –17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन- आयोजनेत्तर,001 – निदेशन तथा प्रशासन –03 अधिष्ठान, 14 –मोटर गाडियों के क्रय हेतु रू0 7.00 लाख की बजट व्यवस्था की गयी है, जिसके सापेक्ष्य निष्प्रयोज्य वाहन संख्या – यू0टी0एफ0 5950 मेक मॉडल महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा जीप के स्थान पर एक बुलेरो एस0एल0 ई0 2 डब्ल्यू डी0 7 एस0टी0आर0 बी0एस0–4 के क्रय हेतु रू0 6,49,840.00 (छ:लाख उन्नचास हजार आठ सौ चालीस मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1 - उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय पूर्व निर्धारित नियमों/ शर्तो के अधीन किया जायेगा ।

2- यह भी सुनिश्चित किया जाय कि निष्प्रोज्य वाहन के स्थान पर पूर्व में वाहन का क्रय न किया गया हो ।

3- प्रश्नगत वाहन का क्रय परिवहन अनुभाग-4 के शासनादेश दिनांक 12-11-1986 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दरों के अनुसार किया जायेगा ।

4- प्रश्नगत क्रय हेतु गुणवत्ता वरीयता एवं मात्रा को सुनिश्चित करने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक मत्स्य का होगा ।

5- उक्त वाहन का क्रय किसी अन्य योजना से न किया गया हो, अर्थात क्रय की कार्यवाही में द्विरावृत्ति (डूब्लीकेसी) न हो ।

6- धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृति की गयी है।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7 - उक्त धनराशि को वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या -17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन- आयोजनेत्तर,001– निदेशन तथा प्रशासन –03 अधिष्ठान 14–मोटर गाडियों के क्रय के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहें है ।

भवदीय

(पुष्पा सिंह)
विशेष सचिव

संख्या - 9 /2015/479/ सत्रह –म- 2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी ) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2 महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3 वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ ।
4 मुख्य कोषाधिकारी , जवाहर भवन लखनऊ।
5 वित्त ( आय- व्ययक) अनुभाग-1
6 वित्त ( व्यय – नियत्रण) अनुभाग-2
7 गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(पुष्पा सिंह)
विशेष सचिव

http:// shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।